Drishti IAS

करेंट अफेयर्स उत्तर प्रदेश

मार्च 2024

(संग्रह)

Drishti, 641, First Floor, Dr. Mukharjee Nagar, Delhi-110009
Inquiry (English): 8010440440, Inquiry (Hindi): 8750187501
Email: help@groupdrishti.in

अनुक्रम

उत्तर प्रदेश **3**

- उत्तर प्रदेश: तहसील स्तर पर अग्निशमन केंद्र रखने वाला पहला राज्य 3
- MYUVA योजना 3
- यूपी सरकार ने स्कूलों और आंगनवाड़ी के लिये धनराशि आवंटित की 4
- ओखला पक्षी अभयारण्य ने विश्व वन्यजीव दिवस मनाया 5
- बच्चों के लिये शैक्षिक सशक्तीकरण पहल 5
- हरित हाइड्रोजन परियोजना 6
- प्रोजेक्ट प्रवीण के तहत कौशल प्रशिक्षण 8
- सोनभद्र में 177 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया 9
- पीएम ने 34,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाएँ लॉन्च कीं 9
- देशभर में CAA लागू होने के बाद उत्तर प्रदेश अलर्ट पर 11
- उत्तर प्रदेश 8 रेलवे स्टेशनों का नाम बदलेगा 11
- सूखे की निगरानी हेतु 'वेदर स्टेशन' 12
- उत्तर प्रदेश सरकार ने निजी कंपनियों को ई-मोबिलिटी में निवेश के लिये आमंत्रित किया 12
- बुंदेलखंड बनेगा नया पावर हाउस 13
- लखनऊ में धारा 144 लागू 14
- दीपक कुमार उत्तर प्रदेश के नए गृह सचिव 14
- उत्तर प्रदेश: फार्मास्युटिकल उत्पादों का प्रमुख उत्पादक और निर्यातक 15
- त्रिनेत्र ऐप 2.0 15
- इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने यूपी मदरसा शिक्षा अधिनियम को असंवैधानिक घोषित किया 16
- 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला पहला राज्य बना उत्तर प्रदेश 17
- उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र महामारी के बाद भारत के विकास में अग्रणी: SBI रिपोर्ट 17
- मसान होली 18

दृष्टि The Vision

नोट :

उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश: तहसील स्तर पर अग्निशमन केंद्र रखने वाला पहला राज्य

चर्चा में क्यों?

एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घोषणा की कि उत्तर प्रदेश जल्द ही तहसील स्तर पर फायर स्टेशन बनाने वाला देश का पहला राज्य बन जाएगा।

मुख्य बिंदु:

- इस कार्यक्रम के दौरान CM ने वर्चुअली 38 फायर स्टेशनों का उद्घाटन और शिलान्यास किया।
    - राज्य में यूपी फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज की स्थापना वर्ष 1944 में हुई थी।
    - वर्ष 2017 तक राज्य में केवल 288 फायर स्टेशन स्थापित थे, जबकि पिछले 7 वर्षों में 70 से अधिक नए फायर स्टेशन स्थापित किये गए हैं।
- CM ने 35 अग्निशमन वाहनों को भी हरी झंडी दिखाई।
- उन्होंने जान-माल की हानि को कम करने हेतु फायर टेंडरों के लिये प्रतिक्रिया समय को कम करने को प्राथमिकता देने की आवश्यकता पर ज़ोर दिया।
- सरकार ने राज्य में राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल (SDRF) की भी स्थापना की।

राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल (SDRF)

- यह आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 48 (1) (A) के तहत गठित, अधिसूचित आपदाओं की प्रतिक्रिया के लिये राज्य सरकारों के पास उपलब्ध प्राथमिक निधि है।
- केंद्र सरकार सामान्य श्रेणी के राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के लिये SDRF आवंटन का 75% और विशेष श्रेणी के राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों (पूर्वोत्तर राज्यों, सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर) के लिये 90% का योगदान करती है।
- वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार वार्षिक केंद्रीय योगदान दो समान किश्तों में जारी किया जाता है।
- SDRF का उपयोग केवल पीड़ितों को तत्काल राहत प्रदान करने के व्यय को पूरा करने के लिये किया जाएगा।
- SDRF, उत्तर प्रदेश का मुख्यालय लखनऊ में स्थित है।

MYUVA योजना

चर्चा में क्यों?

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री "मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान (MYUVA)" योजना शुरू करने जा रहे हैं।

- इसका उद्देश्य राज्य के युवाओं में उद्यमिता को बढ़ावा देना है।

मुख्य बिंदु:

- इस योजना के तहत, राज्य सरकार का लक्ष्य प्रत्येक वर्ष 5 लाख रुपए तक की परियोजनाओं के लिये ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करके एक लाख युवा उद्यमियों को तैयार करना है।
    - सरकार ने इस पहल का समर्थन करने के लिये वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट में 1,000 करोड़ रुपए आवंटित किये हैं।
- इसे राज्य भर में शिक्षित और कुशल युवाओं को सशक्त बनाने, स्व-रोज़गार के अवसरों को सुविधाजनक बनाने तथा नए MSME (सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्यम मंत्रालय) की स्थापना को बढ़ावा देने के लिये डिज़ाइन किया गया है।

नोट :

- जिन लाभार्थियों ने सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं जैसे कि विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना, एक ज़िला एक उत्पाद प्रशिक्षण और टूलकिट योजना, अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग प्रशिक्षण योजना तथा उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन द्वारा संचालित कौशल उन्नयन में प्रशिक्षण प्राप्त किया है, वे सहायता के लिये पात्र होंगे।
  - इसके अतिरिक्त, शैक्षणिक संस्थानों से प्रमाण-पत्र, डिप्लोमा और डिग्री वाले युवा भी इस योजना के तहत लाभ के हकदार होंगे।
- पहले ऋण के सफल पुनर्भुगतान पर, इकाइयाँ दूसरे चरण के वित्तपोषण के लिये पात्र होंगी, जहाँ प्रारंभिक राशि से दोगुना या 7.50 लाख रुपए तक का समग्र ऋण प्रदान किया जा सकता है।

पी.एम. विश्वकर्मा योजना:

- यह योजना लोहार, सुनार, मिट्टी के बर्तन (कुम्हार), बढ़ईगीरी और मूर्तिकला जैसे विभिन्न व्यवसायों में लगे पारंपरिक कारीगरों तथा शिल्पकारों के उत्थान के लिये बनाई गई है, जिसमें सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने एवं उन्हें औपचारिक अर्थव्यवस्था व वैश्विक मूल्य श्रृंखला में एकीकृत करने पर ध्यान दिया गया है।
- इसे एक केंद्रीय क्षेत्र योजना के रूप में लागू किया जाएगा, जो पूरी तरह से भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित होगी।
- सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय इस योजना के लिये नोडल मंत्रालय है।
- उद्देश्य:
  - यह सुनिश्चित करना कि कारीगरों को घरेलू और वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में निर्बाध रूप से एकीकृत किया जाए, जिससे उनकी बाज़ार पहुँच एवं अवसरों में वृद्धि हो।
  - भारत की पारंपरिक शिल्प की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण और संवर्धन।
  - कारीगरों को औपचारिक अर्थव्यवस्था में परिवर्तन करने और उन्हें वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में एकीकृत करने में सहायता करना।

उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन

- यूपी कौशल विकास मिशन की स्थापना 13 सितंबर, 2013 को यूपी सरकार के व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विकास विभाग के तहत सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत पंजीकृत एक सोसायटी के रूप में की गई थी।

यूपी सरकार ने स्कूलों और आंगनवाड़ी के लिये धनराशि आवंटित की

चर्चा में क्यों?

हाल ही में राज्य के 100 अविकसित शहरों में विकास को गति देने के लिये, उत्तर प्रदेश सरकार ने आकांक्षी शहर कार्यक्रम शुरू किया है।

मुख्य बिंदु:

- इस प्रयास के हिस्से के रूप में, प्रारंभिक केंद्र इन शहरों में स्कूलों और आंगनवाड़ी केंद्रों को व्यापक रूप से बदलने पर होगा।
- मुख्यमंत्री के निर्देश के क्रम में आंगनबाडी केंद्रों के लिये अलग से योजना तैयार की गई है।
- मुख्यमंत्री के निर्देशों के अनुसार, राज्य के 100 महत्त्वाकांक्षी शहरी क्षेत्रों में कुल 913 स्कूलों का उन्नयन किया जाएगा, साथ ही 25 अतिरिक्त नए स्कूल स्थापित किये जाएंगे।
  - राज्य के 100 अविकसित शहरी क्षेत्रों में, राज्य सरकार वर्तमान में किराए या वैकल्पिक सरकारी संरचनाओं में स्थित 348 आंगनवाड़ी केंद्रों के लिये नए भवन बनाने की योजना बना रही है।
- इसके अलावा, इन आकांक्षी शहरी क्षेत्रों में वर्तमान में किराए या वैकल्पिक सरकारी सुविधाओं में संचालित 348 आंगनवाड़ी केंद्रों के लिये नए भवनों का निर्माण किया जाएगा।
- राज्य सरकार ने इन परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिये 143 करोड़ रुपए से अधिक का आवंटन किया है।
- कुल 35.5 करोड़ रुपए की लागत से 25 नए मुख्यमंत्री अभ्युदय कम्पोजिट विद्यालय भी स्थापित किये जाएंगे, प्रत्येक स्कूल पर 1.42 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इस प्रकार, राज्य सरकार उन्नयन और नए स्कूल खोलने के लिये 101.83 करोड़ रुपए खर्च करेगी।

नोट:

उत्तर प्रदेश सरकार ने यूपी के 38 ज़िलों के 100 नगर निकायों को आकांक्षी शहरी निकाय श्रेणी में रखा है।

नोट :

ओखला पक्षी अभयारण्य ने विश्व वन्यजीव दिवस मनाया

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में ओखला पक्षी अभयारण्य में विश्व वन्यजीव दिवस मनाया गया, जिसमें इसकी समृद्ध जैवविविधता पर प्रकाश डाला गया और मिशन लाइफ पर ध्यान केंद्रित किया गया।

- प्रत्येक वर्ष जंगली जीवों और पौधों का उत्सव मनाने के लिये 3 मार्च को WWD मनाया जाता है।

मुख्य बिंदु:

- WWD 2024 की थीम: WWD 2024 की थीम थी "व्यक्तियों और पृथ्वी को जोड़ना: वन्यजीव संरक्षण में डिजिटल नवाचार की खोज।" इस विषय में वन्यजीव संरक्षण प्रयासों में डिजिटल नवाचारों की भूमिका पर ज़ोर दिया गया।
- अंतर-पीढ़ीगत आदान-प्रदान: यह आयोजन स्थायी डिजिटल वन्यजीव संरक्षण पर कला, प्रस्तुतियों और चर्चा जैसी विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से अंतर-पीढ़ीगत आदान-प्रदान एवं युवा सशक्तीकरण के लिये एक मंच के रूप में कार्य करता है।
- तकनीकी नवाचार की भूमिका: अनुसंधान उपकरण, संचार विधियों, ट्रैकिंग सिस्टम और डीएनए विश्लेषण जैसी तकनीकी प्रगति ने अधिक कुशल एवं सटीक वन्यजीव संरक्षण प्रयासों को सुविधाजनक बनाया है।
- डिजिटल क्रांति: वैश्विक डिजिटल क्रांति जन-केंद्रित डिजिटल शासन की बाधाओं को तोड़ रही है और वन्यजीव संरक्षण के लिये डिजिटल परिवर्तन में शामिल होने के लिये सभी को समान अवसर प्रदान कर रही है।
- आयोजित गतिविधियाँ: कार्यक्रम में विभिन्न गतिविधियाँ आयोजित की गईं, जिनमें इको ट्रेल्स, पोस्टर मेकिंग और ऑन-द-स्पॉट हाथ तथा चेहरे की पेंटिंग शामिल हैं, जो सभी WWD 2024 की थीम पर केंद्रित थीं।

बच्चों के लिये शैक्षिक सशक्तीकरण पहल

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में ऊर्जा मंत्रालय के तहत एक महारत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम, REC लिमिटेड ने उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर ज़िले में लगभग 75,500 बच्चों की शिक्षा का समर्थन करने के लिये विज्ञान और शैक्षिक विकास इकाई (UNISED) के साथ साझेदारी की है।

मुख्य बिंदु:

- वित्तीय प्रतिबद्धता: आरईसी लिमिटेड की CSR शाखा, REC फाउंडेशन ने सामाजिक उत्तरदायित्व के प्रति अपने समर्पण को प्रदर्शित करते हुए, इस पहल के लिये 9.91 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की है।
- समझौता ज्ञापन (MOA): नई दिल्ली में REC फाउंडेशन और यूनिसेड के बीच एक औपचारिक समझौते पर हस्ताक्षर किये गए हैं, जो सिद्धार्थनगर ज़िले में वंचित बच्चों के लिये शैक्षिक अवसरों में सुधार हेतु उनकी प्रतिबद्धता को मज़बूत करता है।
- उद्देश्य: सहयोग का उद्देश्य सौर ऊर्जा से संचालित स्मार्ट कक्षाओं और आनंददायक शिक्षण संसाधन प्रयोगशालाओं के कार्यान्वयन के माध्यम से सरकारी स्कूलों में शैक्षिक बुनियादी ढाँचे तथा संसाधनों को बढ़ाना है।
  - यह पहल छात्रों को आधुनिक शैक्षिक उपकरणों के साथ सशक्त बनाने और शैक्षणिक एवं रचनात्मक उत्कृष्टता को बढ़ावा देने हेतु डिज़ाइन की गई है।
- आरईसी फाउंडेशन की पूर्व पहल: आरईसी फाउंडेशन ने पहले सशस्त्र बल झंडा दिवस कोष में 15 करोड़ रुपए का योगदान देकर पूर्व सैनिकों के 12,500 बच्चों की शिक्षा के लिये समर्थन दिखाया है, जिससे शिक्षा और सामाजिक कल्याण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता पर ज़ोर दिया गया है।

REC लिमिटेड

- परिचय:
  - REC लिमिटेड एक महारत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम है जो आरबीआई के साथ गैर-बैंकिंग वित्त कंपनी और इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग कंपनी (IFC) के रूप में पंजीकृत है। यह विद्युत बुनियादी ढाँचा क्षेत्र के वित्तपोषण में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है और इसने गैर-विद्युत बुनियादी ढाँचा क्षेत्रों में भी विविधता ला दी है।

- रणनीतिक भूमिका:
  - REC लिमिटेड विद्युत क्षेत्र के लिये सरकार की विभिन्न प्रमुख योजनाओं में एक महत्त्वपूर्ण रणनीतिक भूमिका निभाता है, जिसमें प्रधानमंत्री सहज विद्युत हर घर योजना (सौभाग्य), दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (DDUGJY) और राष्ट्रीय विद्युत निधि (NEF) योजना शामिल है। देश की विद्युत वितरण प्रणाली को मज़बूत करने और 100% गाँव विद्युतीकरण हासिल करने में योगदान देना।

हरित हाइड्रोजन परियोजना

चर्चा में क्यों?

हाल ही में उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने अपनी पाँच-वर्षीय हरित हाइड्रोजन नीति को मंज़ूरी दी, जिसमें वर्ष 2028 के लक्ष्य के लिये पर्याप्त क्षमता को प्रोत्साहित करने हेतु सब्सिडी कार्यक्रम के लिये 50.4 बिलियन रुपए (608 मिलियन अमेरिकी डॉलर) निर्धारित किये गए हैं।

मुख्य बिंदु:

- सफल होने पर, यह नीति भारत के राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत वर्ष 2030 तक पाँच मिलियन टन वार्षिक उत्पादन तक पहुँचने के लक्ष्य का पाँचवाँ हिस्सा पूरा कर लेगी।
  - यह नीति निर्बाध जीवाश्म ईंधन का उपयोग करके बनाए गए ग्रे हाइड्रोजन को बदलने के लिये ज़्यादातर औद्योगिक प्रक्रियाओं जैसे रसायनों और तेल शोधन में मौजूदा मांग को लक्षित करेगी।
  - अब तक, हाइड्रोजन उत्पादन तकनीक गैस पर निर्भर रही है, जिसे ग्रे हाइड्रोजन के रूप में जाना जाता है। ग्रे हाइड्रोजन से ग्रीन हाइड्रोजन में परिवर्तन के लिये अब एक महत्त्वपूर्ण प्रयास चल रहा है।
- यह नीति वर्ष 2028 तक अगले चार वर्षों के भीतर सालाना दस लाख मीट्रिक टन हरित हाइड्रोजन का उत्पादन करने के महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य की रूपरेखा तैयार करती है।
- जिन उत्पादकों को फास्ट-ट्रैक पर्यावरण अनुमति/परमिटिंग दी जाएगी, वे इंट्रास्टेट ग्रिड का उपयोग करने से जुड़े ट्रांसमिशन शुल्क पर पूर्ण छूट के साथ-साथ विद्युत कर (दस वर्षों के लिये) और स्टांप शुल्क से भी पूर्ण छूट के पात्र होंगे।
- फास्ट ट्रैक परमिटिंग में बेहतर पर्यावरण नीतियों और प्रक्रियाओं का एक सेट शामिल है जो पूरे राष्ट्रमंडल में विकास तथा आर्थिक विकास को बढ़ावा देता है।
- राज्य सरकार, राज्य में हरित हाइड्रोजन परियोजनाएँ स्थापित करने वाले राज्य के स्वामित्व वाले उद्यमों को प्रति वर्ष एक रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से भूमि पट्टे पर देने का भी प्रस्ताव कर रही है।
- निजी नवीकरणीय हाइड्रोजन निवेशक प्रति वर्ष 15,000 रुपए (USD 181) प्रति एकड़ की भूमि पट्टा दर के लिये पात्र होंगे।

हाइड्रोजन

- स्वच्छ वैकल्पिक ईंधन विकल्प के लिये हाइड्रोजन पृथ्वी पर सबसे प्रचुर तत्त्वों में से एक है।
- हाइड्रोजन का प्रकार उसके बनने की प्रक्रिया पर निर्भर करता है:
  - ग्रीन हाइड्रोजन अक्षय ऊर्जा (जैसे- सौर, पवन) का उपयोग करके जल के इलेक्ट्रोलिसिस द्वारा निर्मित होता है और इसमें कार्बन फुटप्रिंट कम होता है।
    - इसके तहत विद्युत द्वारा जल (H2O) को हाइड्रोजन (H) और ऑक्सीजन (O2) में विभाजित किया जाता है।
    - उपोत्पाद: जल, जलवाष्प।
  - ब्राउन हाइड्रोजन का उत्पादन कोयले का उपयोग करके किया जाता है जहाँ उत्सर्जन को वायुमंडल में निष्कासित किया जाता है।
  - ग्रे हाइड्रोजन (Grey Hydrogen) प्राकृतिक गैस से उत्पन्न होता है जहाँ संबंधित उत्सर्जन को वायुमंडल में निष्कासित किया जाता है।
  - ब्लू हाइड्रोजन (Blue Hydrogen) प्राकृतिक गैस से उत्पन्न होती है, जहाँ कार्बन कैप्चर और स्टोरेज का उपयोग करके उत्सर्जन को कैप्चर किया जाता है।

नोट :

- उपयोग:
  - हाइड्रोजन एक ऊर्जा वाहक है, न कि स्रोत और यह ऊर्जा की अधिक मात्रा को वितरित या संग्रहीत कर सकता है।
  - इसका उपयोग फ्यूल सेल में विद्युत या ऊर्जा और ऊष्मा उत्पन्न करने के लिये किया जा सकता है।
    - वर्तमान में पेट्रोलियम शोधन और उर्वरक उत्पादन में हाइड्रोजन का सबसे अधिक उपयोग किया जाता है, जबकि परिवहन एवं अन्य उपयोगिताएँ इसके लिये उभरते बाज़ार हैं।
  - हाइड्रोजन और ईंधन सेल वितरित या संयुक्त ताप तथा शक्ति सहित विविध अनुप्रयोगों में उपयोग के लिये ऊर्जा प्रदान कर सकते हैं; अतिरिक्त उर्जा; अक्षय ऊर्जा के भंडारण एवं इसे सक्षम करने के लिये सिस्टम; पोर्टेबल विद्युत आदि।
  - इनकी उच्च दक्षता और शून्य या लगभग शून्य-उत्सर्जन संचालन के कारण हाइड्रोजन एवं फ्यूल सेलों जैसे कई अनुप्रयोगों में ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने की क्षमता है।

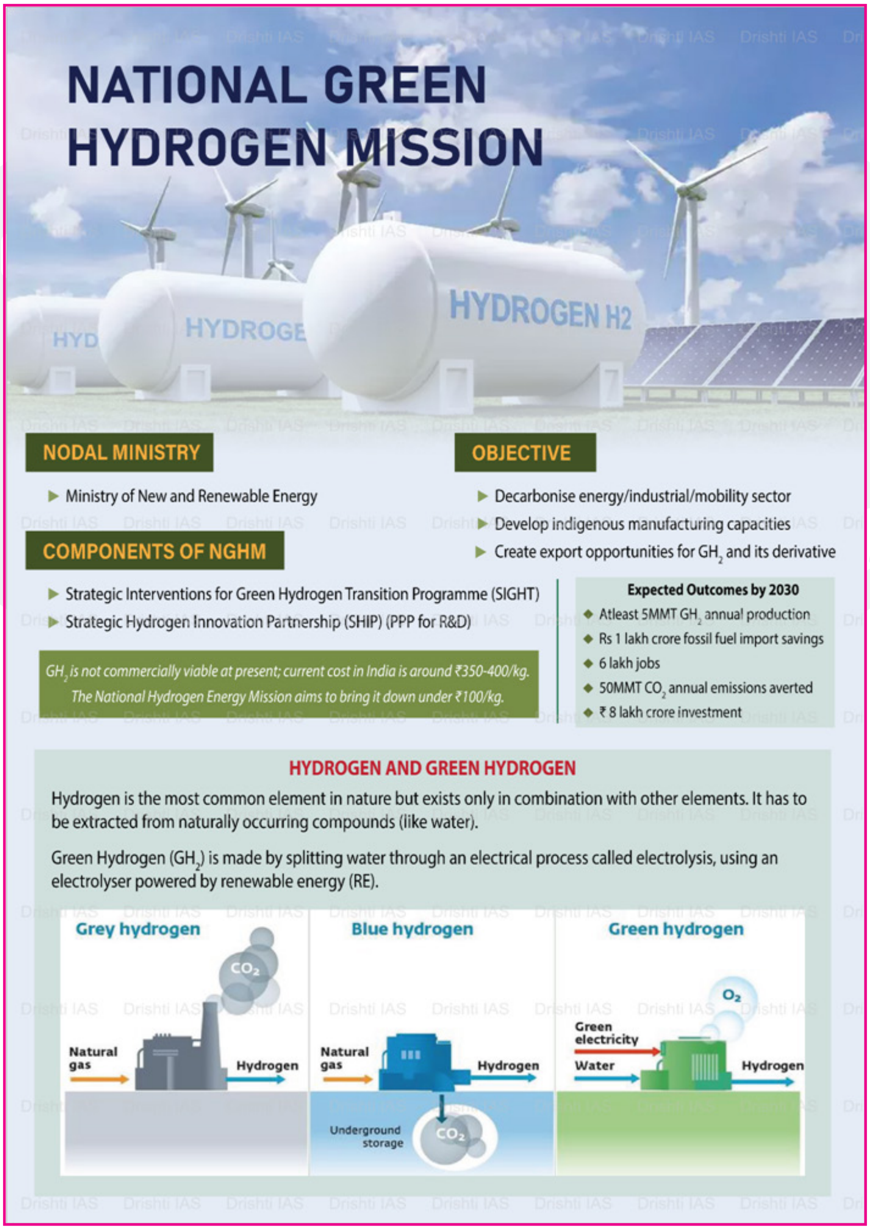

प्रोजेक्ट प्रवीण के तहत कौशल प्रशिक्षण

चर्चा में क्यों?

उत्तर प्रदेश सरकार ने 'प्रोजेक्ट प्रवीण' के माध्यम से राज्य में 61,000 से अधिक लड़के और लड़कियों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया है।

मुख्य बिंदु:

- इस योजना के तहत युवाओं को रोज़गार बाज़ार के लिये तैयार होने के लिये मुफ्त कौशल प्रशिक्षण और नए ज़माने के पाठ्यक्रम प्रदान किये जा रहे हैं।
- यह परियोजना राज्य के उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में पढ़ने वाले कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों के लिये है।
  - छात्र अपने नियमित अध्ययन के साथ-साथ IT क्षेत्र, इलेक्ट्रॉनिक्स, सौंदर्य, स्वास्थ्य सेवा, परिधान और लेखांकन जैसे अपने हितों से जुड़े ट्रेडों में दैनिक नि:शुल्क प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं।
- 'प्रोजेक्ट प्रवीण' माध्यमिक शिक्षा और उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के बीच एक समझौता ज्ञापन (MoU) के तहत संचालित किया जा रहा है।
- इस परियोजना का प्राथमिक उद्देश्य राज्य की शिक्षा प्रणाली और पाठ्यक्रम में सुधार करना है।
- प्रोजेक्ट प्रवीण को वर्ष 2022-23 में एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया गया था।
  - इस अवधि के दौरान, 150 सरकारी माध्यमिक विद्यालयों में 20,582 छात्रों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया। इसके अलावा, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय को भी इस योजना से जोड़ा गया, जिससे 3,450 छात्राओं को प्रशिक्षण की सुविधा मिली।
  - वर्ष 2023-24 के लिये परियोजना के तहत कुल 315 सरकारी माध्यमिक विद्यालयों को शामिल किया गया है।
  - इन संस्थानों के माध्यम से अब तक 61,400 छात्रों को कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान किया जा चुका है।
- प्रस्तावित सभी पाठ्यक्रम राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा अखिल भारतीय स्तर पर प्रामाणित और अनुमोदित हैं।
  - प्रशिक्षण और मूल्यांकन पूरा होने पर, छात्रों को ऐसे प्रमाण-पत्र प्रदान किये जाते हैं जिनकी पूरे देश में वैधता होती है।
- प्रोजेक्ट प्रवीण के तहत प्रशिक्षण लेने वाले छात्रों को स्कूल में ही निजी प्रशिक्षण केंद्रों द्वारा प्रशिक्षण दिया जाता है।
- ये प्रशिक्षक शिक्षकों के प्रशिक्षण (TOT) कार्यक्रम के तहत प्रमाणित हैं और कौशल विकास मिशन के तहत पंजीकृत हैं।

उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन (UPSDM)

- यूपी कौशल विकास मिशन की स्थापना 13 सितंबर, 2013 को यूपी सरकार के व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विकास विभाग के तहत सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत पंजीकृत एक सोसायटी के रूप में की गई थी।
- वर्ष 2022 तक 500 मिलियन लोगों को कुशल बनाने के लक्ष्य के साथ वर्ष 2009 में एक राष्ट्रीय कौशल विकास नीति शुरू की गई थी। राष्ट्रीय योजना के तहत, उत्तर प्रदेश राज्य का लक्ष्य 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक 4 मिलियन से अधिक युवाओं को कौशल प्रदान करना है।
- इस लक्ष्य को प्राप्त करने और राज्य के युवाओं को रोज़गारपरक कौशल प्रदान करने के लिये UPSDM की स्थापना की गई है।
  - राज्य कौशल विकास नीति का लाभ उठाते हुए सभी कौशल विकास पहलों का समन्वय करना अनिवार्य है।
  - इसने कौशल विकास प्रशिक्षण आयोजित करने के लिये सरकारी प्रशिक्षण भागीदारों के अलावा निजी प्रशिक्षण भागीदारों को सूचीबद्ध किया।

राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद (NCVET)

- NCVET को 5 दिसंबर 2018 को भारत सरकार द्वारा एक नियामक निकाय के रूप में स्थापित किया गया था। यह 1 अगस्त 2020 से पूरी तरह से चालू हो गया है।
- यह मानकों को स्थापित करने, व्यापक नियमों को विकसित करने और व्यावसायिक शिक्षा, प्रशिक्षण एवं कौशल पारिस्थितिकी तंत्र में सुधार करने के उद्देश्य से एक व्यापक राष्ट्रीय नियामक के रूप में कार्य करता है।

नोट :

- NCVET का प्राथमिक उद्देश्य मज़बूत उद्योग इंटरफेस सुनिश्चित करना और व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण की गुणवत्ता तथा परिणामों को बढ़ाने वाले प्रभावी नियमों को लागू करना है।

राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन (NSDM)

- इसका उद्देश्य कौशल प्रशिक्षण गतिविधियों के संदर्भ में क्षेत्रों और राज्यों में अभिसरण बनाना है।
- इसका उद्देश्य गति और मानकों के साथ बड़े पैमाने पर कौशल हासिल करने के लिये सभी क्षेत्रों में निर्णय लेने में तेज़ी लाना है।

सोनभद्र में 177 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया

चर्चा में क्यों?

हाल ही में आवास और शहरी मामलों तथा पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री ने उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में 177 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास किया।

प्रमुख बिंदु:

- 10 करोड़ 41 लाख रुपए की परियोजनाएँ श्री पुरी के सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना निधि से वित्त पोषित हैं
- जनवरी 2018 से मार्च 2024 तक लगातार आकांक्षी ज़िला कार्यक्रम के समग्र प्रदर्शन में सोनभद्र 112 ज़िलों में से शीर्ष पाँच ज़िलों में शामिल है।
- मंत्री ने वर्ष 2018 में नीति आयोग के आकांक्षी ज़िला कार्यक्रम के तहत सोनभद्र की विकास पहल की देखरेख की ज़िम्मेदारी संभाली।

MPLAD स्कीम

- यह एक केंद्रीय क्षेत्र योजना है जिसकी घोषणा दिसंबर 1993 में की गई थी।
- उद्देश्य:
- सांसदों को मुख्य रूप से अपने निर्वाचन क्षेत्रों में पेयजल, प्राथमिक शिक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्वच्छता और सड़कों आदि के क्षेत्रों में धारणीय सामुदायिक संपत्तियों के निर्माण पर ज़ोर देने के साथ विकासात्मक प्रकृति के कार्यों की सिफारिश करने में सक्षम बनाना।
  - जून 2016 से, MPLAD फंड का उपयोग स्वच्छ भारत अभियान, सुगम्य भारत अभियान (सुगम्य भारत अभियान), वर्षा जल संचयन के माध्यम से जल संरक्षण और सांसद आदर्श ग्राम योजना आदि योजनाओं के कार्यान्वयन के लिये भी किया जा सकता है।

आकांक्षी ज़िला कार्यक्रम

- इसे वर्ष 2018 में लॉन्च किया गया था, जिसका उद्देश्य उन ज़िलों में परिवर्तन लाना है, जिन्होंने प्रमुख सामाजिक क्षेत्रों में अपेक्षाकृत कम प्रगति दर्शाई है।
- आकांक्षी जिले भारत के वे ज़िले हैं, जो कम प्रदर्शन करने वाले सामाजिक-आर्थिक संकेतकों से प्रभावित हैं।

पीएम ने 34,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाएँ लॉन्च कीं

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने कुल 34,000 करोड़ रुपए की कई विकास पहलों का उद्घाटन किया।

मुख्य बिंदु:

- नागरिक उड्डयन क्षेत्र को महत्त्वपूर्ण बढ़ावा देने के लिये, प्रधानमंत्री ने देश भर में कई हवाईअड्डा परियोजनाओं के लिये ज़मीनी कार्य शुरू किया।
  - उन्होंने पुणे, कोल्हापुर, ग्वालियर, जबलपुर, दिल्ली, लखनऊ, अलीगढ़, आज़मगढ़, चित्रकूट, मोरादाबाद, श्रावस्ती और आदमपुर सहित हवाई अड्डों पर 12 नए टर्मिनल भवनों का अनावरण किया।
  - उन्होंने कडप्पा, हुबली और बेलगावी हवाई अड्डों पर तीन नए टर्मिनल भवनों की आधारशिला रखी।

- उन्होंने लाइट हाउस प्रोजेक्ट (LHP) का भी उद्घाटन किया, जिसने आधुनिक सुविधाओं के साथ 2000 से अधिक किफायती फ्लैटों के निर्माण की सुविधा प्रदान की है।
- प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत निर्मित 3700 करोड़ रुपए से अधिक लागत की 744 ग्रामीण सड़क परियोजनाएँ राष्ट्र को समर्पित कीं।
- इन परियोजनाओं में उत्तर प्रदेश में 5,400 किलोमीटर से अधिक की संचयी लंबाई वाली ग्रामीण सड़कें शामिल हैं, जिससे राज्य के लगभग 59 ज़िलों को लाभ होगा।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY)

- लॉन्च की गई: 25 दिसंबर, 2000।
- उद्देश्य: असंबद्ध बस्तियों तक हर मौसम के लिये उपयुक्त सड़क के माध्यम से कनेक्टिविटी प्रदान करना।
- पात्रता: ग्रामीण आबादी की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार के लिये कोर नेटवर्क में निर्दिष्ट जनसंख्या आकार (500 + मैदानी क्षेत्रों में और पूर्वोत्तर राज्यों, हिमालयी राज्यों, रेगिस्तान तथा जनजातीय क्षेत्रों में वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार 250 +) की असंबद्ध बस्तियाँ।
  - एक असंबद्ध बस्ती वह है जिसकी निर्धारित आकार की आबादी किसी बारहमासी सड़क या किसी जुड़ी हुई बस्ती से कम-से-कम 500 मीटर या उससे अधिक (पहाड़ियों के मामले में 1.5 किमी पथ दूरी) की दूरी पर स्थित है।
  - कोर नेटवर्क: यह सड़कों (मार्गों) का वह न्यूनतम नेटवर्क है जो कम-से-कम एकल ऑल-वेदर रोड कनेक्टिविटी के माध्यम से चयनित क्षेत्रों में सभी पात्र बस्तियों को आवश्यक सामाजिक और आर्थिक सेवाओं तक बुनियादी पहुँच प्रदान करने के लिये आवश्यक है।
- नवीनतम फंडिंग पैटर्न: राज्यों को फंड आवंटन बाद के वर्षों में राज्यों को स्वीकृत परियोजनाओं के मूल्य के अनुरूप किया गया है।
  - उत्तर-पूर्वी और हिमालयी राज्यों में योजना के तहत स्वीकृत परियोजनाओं के संबंध में केंद्र सरकार परियोजना लागत का 90% वहन करती है जबकि अन्य राज्यों के लिये केंद्र सरकार 60% लागत वहन करती है।
- ग्रामीण सड़कों का निर्माण: PMGSY के तहत निर्मित ग्रामीण सड़कें भारतीय सड़क कॉन्ग्रेस (IRC) के प्रावधान के अनुसार होंगी।
  - IRC देश में राजमार्ग इंजीनियरों की सर्वोच्च संस्था है।
  - IRC की स्थापना वर्ष 1934 में हुई थी।
- PMGSY - चरण-I
  - PMGSY - चरण-I को दिसंबर, 2000 में 100% केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में लॉन्च किया गया था।
  - योजना के तहत, 1,35,436 बस्तियों को सड़क कनेक्टिविटी प्रदान करने और 3.68 लाख किमी मौजूदा ग्रामीण सड़कों के उन्नयन का लक्ष्य रखा गया था ताकि खेत से बाज़ार तक पूर्ण कनेक्टिविटी सुनिश्चित की जा सके।
- PMGSY - चरण-II
- इसके बाद भारत सरकार ने अपनी समग्र दक्षता में सुधार के लिये मौजूदा ग्रामीण सड़क नेटवर्क के 50,000 किलोमीटर के उन्नयन के लिये वर्ष 2013 में PMGSY-II लॉन्च किया।
- जबकि चल रही PMGSY - I जारी रही, PMGSY चरण-II के तहत, ग्रामीण बुनियादी ढाँचे को बढ़ाने के लिये गाँव की कनेक्टिविटी हेतु पहले से बनाई गई सड़कों को उन्नत किया जाना था।
- लागत केंद्र और राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के बीच साझा की गई थी।
- PMGSY - चरण-III
  - चरण-III को जुलाई 2019 के दौरान कैबिनेट द्वारा अनुमोदित किया गया था।
  - यह सुविधाओं को प्राथमिकता देता है, जैसे:
    - ग्रामीण कृषि बाज़ार (GrAMs)

नोट :

- GrAM, फार्म गेट के नज़दीक खुदरा कृषि बाज़ार हैं जो किसानों की उपज के अधिक कुशल लेनदेन को बढ़ावा देते हैं और सेवा प्रदान करते हैं।
  - उच्चतर माध्यमिक विद्यालय और
  - अस्पताल।
- PMGSY-III योजना के तहत, राज्यों में 1,25,000 किलोमीटर लंबी सड़क को समेकित करने का प्रस्ताव है। योजना की अवधि वर्ष 2019-20 से 2024-25 तक है।

देशभर में CAA लागू होने के बाद उत्तर प्रदेश अलर्ट पर

चर्चा में क्यों?

नागरिकता संशोधन कानून, 2019 लागू होने की घोषणा के बाद उत्तर प्रदेश में अलर्ट जारी कर दिया गया।

मुख्य बिंदु:

- DGP मुख्यालय ने अधिकारियों को अलर्ट पर रहने का आदेश दिया है जबकि संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त बल तैनात किया गया है।
  - जनता को भड़काने वाली सामग्री को नियंत्रित करने के लिये सोशल मीडिया पर निगरानी रखना।
  - राज्य भर की पुलिस को संबंधित इलाकों में पैदल गश्त करने का निर्देश दिया गया है।
  - राज्य में हालात पर नज़र रखने के लिये CCTV और ड्रोन कैमरे तैनात किये जाएंगे।
- यह घटनाक्रम केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा CAA के कार्यान्वयन के लिये नियमों को आधिकारिक तौर पर अधिसूचित करने के बाद आया।

नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA), 2019

- CAA पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से छह गैर-दस्तावेज़ गैर-मुस्लिम समुदायों (हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई) को धर्म के आधार पर नागरिकता प्रदान करता है, जिन्होंने 31 दिसंबर, 2014 को या उससे पहले भारत में प्रवेश किया था।
- यह छह समुदायों के सदस्यों को विदेशी अधिनियम, 1946 और पासपोर्ट अधिनियम, 1920 के तहत किसी भी आपराधिक मामले से छूट देता है।
- दोनों अधिनियम अवैध रूप से देश में प्रवेश करने और समाप्त वीज़ा तथा परमिट पर यहाँ रहने के लिये सज़ा निर्दिष्ट करते हैं।

उत्तर प्रदेश 8 रेलवे स्टेशनों का नाम बदलेगा

चर्चा में क्यों?

हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अमेठी ज़िले के आठ रेलवे स्टेशनों का नाम बदलने के उत्तर प्रदेश सरकार के प्रस्ताव को अपनी स्वीकृति दे दी है।

मुख्य बिंदु:

- इस निर्णय का उद्देश्य क्षेत्र की सांस्कृतिक पहचान और विरासत को संरक्षित करना है।
  - सरकार द्वारा भेजे गए प्रस्ताव में कासिमपुर हॉल्ट का नाम बदलकर जायस सिटी करने और कई मध्यवर्ती स्टेशनों जैसे जायस का नाम गुरु गोरखनाथ धाम, बानी का नाम स्वामी परमहंस, मिसरौली का नाम माँ कालिकन धाम, निहालगढ़ का नाम महाराजा बिजली पासी, अकबरगंज का नाम माँ अहोरवा भवानी धाम करने का सुझाव दिया गया है। वारिसगंज को अमर शहीद भाले सुल्तान और फुरसतगंज को तपेश्वरनाथ धाम के रूप में जाना जाता है।

सूखे की निगरानी हेतु 'वेदर स्टेशन'

चर्चा में क्यों?

उत्तर प्रदेश सरकार ने बुंदेलखंड क्षेत्र के सात ज़िलों की सभी तहसीलों सहित राज्य की 100 सर्वाधिक सूखाग्रस्त तहसीलों में सूखे की स्थिति पर नज़र रखने के लिये टेलीमेट्रिक वेदर स्टेशन (TWS) स्थापित करने की योजना की घोषणा की।

मुख्य बिंदु:

- इस पहल का उद्देश्य TWS के माध्यम से राज्य के विभिन्न स्थानों के तापमान, सौर विकिरण, वायु की गति आदि को जानने के बाद उत्तर प्रदेश में लगातार सूखे की स्थिति से निपटना है।
  - इसे रणनीतिक रूप से मौजूदा ऑटोमैटिक वेदर स्टेशन (AWS) और ऑटोमैटिक रेन -गेज स्टेशन (ARG) से 7-10 किलोमीटर की दूरी पर 10 x 10 मीटर की दूरी पर रखा जाएगा।
- बुंदेलखंड क्षेत्र में हमीरपुर, बांदा, ललितपुर, जालौन, झाँसी, महोबा और चित्रकोट ज़िले आते हैं जो प्रत्येक वर्ष सूखे की चुनौतियों का सामना करते हैं।
- ऑटोमैटिक वेदर स्टेशन (AWS): ऑटोमैटिक/स्वचालित प्रकार का पारंपरिक वेदर स्टेशन और इसका उपयोग दूरदराज़ के क्षेत्रों में या जब मानव शक्ति अपर्याप्त हो तो मौसम की निगरानी के लिये किया जाता है।
- ऑटोमैटिक रेन-गेज स्टेशन (ARG): इसे "मौसम विज्ञान स्टेशन" के रूप में परिभाषित किया गया है, जिस पर अवलोकन स्वचालित रूप से किये और प्रसारित किये जाते हैं।

उत्तर प्रदेश सरकार ने निजी कंपनियों को ई-मोबिलिटी में निवेश के लिये आमंत्रित किया

चर्चा में क्यों?

हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने निजी कंपनियों को अपने ई-मोबिलिटी पुश में निवेश करने के लिये आमंत्रित किया है। राज्य ने अगले पाँच वर्षों में 75 ज़िलों में 50,000 इलेक्ट्रिक बसें शुरू करने का प्रस्ताव रखा है।

मुख्य बिंदु:

- उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम (UPSRTC) ने सकल लागत अनुबंध के आधार पर 5,000 ई-बसों की आपूर्ति, संचालन और रखरखाव के लिये बोलियाँ आमंत्रित करते हुए एक निविदा जारी की है।
- पहले चरण में अगले वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान ही 5,000 ई-बसें तैनात की जाएंगी।
  - ई-बसों की आपूर्ति, संचालन और रखरखाव के अलावा, बोलीदाता संबद्ध विद्युत तथा नागरिक बुनियादी ढाँचे का भी ध्यान रखेगा।
  - उन्हें राजस्व साझाकरण मॉडल पर मौजूदा अंतर-ज़िला मार्गों पर परिचालन की अनुमति दी जाएगी।
- ई-बसों की तैनाती से राज्य के सार्वजनिक गतिशीलता बेड़े से कार्बन उत्सर्जित करने वाली 12,000 डीज़ल बसें चरणबद्ध तरीके से समाप्त हो जाएंगी।

उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम (UPSRTC)

- यह एक सार्वजनिक क्षेत्र का यात्री सड़क परिवहन निगम है जो उत्तर प्रदेश, भारत और उत्तर भारत के आस-पास के राज्यों को सेवा प्रदान करता है।
- यह राज्य और अंतर्राष्ट्रीय बस सेवा के रूप में संचालित होती है तथा उत्तर भारत में बसों का सबसे बड़ा बेड़ा है।
- निगम का कॉर्पोरेट कार्यालय लखनऊ में स्थित है।
- सड़क परिवहन अधिनियम, 1950 के प्रावधानों के तहत 1 जून 1972 को यूपी सरकारी रोडवेज़ का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम (UPSRTC) कर दिया गया। इस उपक्रम के उद्देश्य थे:

- इससे संबंधित सड़क परिवहन क्षेत्र का विकास व्यापार और उद्योग के समग्र विकास को बढ़ावा देगा।
- परिवहन के अन्य साधनों के साथ सड़क परिवहन सेवाओं का समन्वय।
- राज्य के निवासियों को पर्याप्त, किफायती और कुशलतापूर्वक समन्वित सड़क परिवहन सेवा प्रदान करना।

बुंदेलखंड बनेगा नया पावर हाउस

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में बुंदेलखंड में 10 सौर ऊर्जा परियोजनाएँ शुरू की गई हैं, जिनसे 3,000 मेगावाट से अधिक विद्युत उत्पन्न होगी। यह पूरा क्षेत्र उत्तर प्रदेश का नया ऊर्जा केंद्र बनने के लिये तैयार है।

मुख्य बिंदु:

- सौर ऊर्जा उत्पादन संयंत्र बुंदेलखंड के जालौन, झाँसी, ललितपुर, बांदा, चित्रकूट तथा महोबा ज़िलों में स्थापित किये जायेंगे। अकेले झाँसी ज़िले में तीन सौर ऊर्जा इकाइयाँ स्थापित की जा रही हैं।
- परियोजनाएँ हैं:
  - झाँसी ज़िले में टस्को द्वारा 3,430 करोड़ रुपए की लागत से 600 मेगावाट का सौर संयंत्र स्थापित किया जा रहा है, जिससे 300 रोज़गार सृजन के अवसर उत्पन्न होने की संभावना है।
    - फोर्थ पार्टनर एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड 1,200 करोड़ रुपए में 100 मेगावाट का सौर संयंत्र स्थापित करेगा, जिससे 1,000 से अधिक रोज़गार सृजन के अवसर जुड़ेंगे।
    - सन सोर्स एनर्जी 600 करोड़ रुपए की 135 मेगावाट की ओपन-एक्सेस सौर ऊर्जा परियोजना शुरू करने के लिये तैयार है, जिसमें 2,000 रोज़गार सृजन की क्षमता है।
  - टस्को द्वारा ललितपुर ज़िले में 3,450 करोड़ रुपए की लागत से 600 मेगावाट का सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया जा रहा है, जिससे 300 रोज़गार सृजन के अवसर उत्पन्न होंगे।
    - सूर्य ऊर्जा फोर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा 150 करोड़ रुपए की लागत से 10-15 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित की जाएगी, जिससे 200 लोगों के लिये रोज़गार सृजन के अवसर उत्पन्न होंगे।
  - अवाडा इंड सोलर प्राइवेट लिमिटेड 350 करोड़ रुपए की लागत से बाँदा में 750 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित करेगी।
    - सनश्योर सोलर पार्क प्राइवेट लिमिटेड द्वारा 62 करोड़ रुपए की लागत से 15 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना भी स्थापित की जा रही है।
  - चित्रकूट में टस्को लिमिटेड 4,700 करोड़ रुपए की लागत से 800 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित करेगी। इससे 400 लोगों को रोज़गार के अवसर मिलेंगे।
    - श्री सीमेंट प्राइवेट लिमिटेड 202 करोड़ रुपए का सोलर पावर प्लांट लगाएगी।
  - टस्को लिमिटेड महोबा में 1008 करोड़ रुपए की 155 मेगावाट की अर्जुन सागर फ्लोटिंग सोलर पावर परियोजना स्थापित कर रही है, जिससे 78 लोगों के लिये रोज़गार के अवसर उत्पन्न होंगे।
    - IB वोग्ट सोलर फोर प्राइवेट लिमिटेड महोबा में 80 करोड़ रुपए की लागत से सौर ऊर्जा परियोजना भी स्थापित करेगी।
  - बुंदेलखंड क्षेत्र में कार्यान्वित की जा रही अन्य प्रमुख परियोजनाओं में शामिल हैं:
    - रेलवे का LBH कोच प्रोजेक्ट और ट्रैक वर्क प्लांट 2,840 करोड़ रुपए का है।
    - संत मां कर्म मानव संवर्धन समिति द्वारा 501 करोड़ रुपए का एक निजी विश्वविद्यालय।
    - 30 करोड़ रुपए की पत्थर खनन परियोजना और 20 करोड़ रुपए की बंदूक प्रणोदक परियोजना।

लखनऊ में धारा 144 लागू

चर्चा में क्यों?

हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने आगामी लोकसभा चुनाव और त्योहारों के मद्देनज़र लखनऊ में 17 मई, 2024 तक दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 लागू कर दी है।

मुख्य बिंदु:

- उत्तर प्रदेश में वर्ष 2024 का लोकसभा चुनाव 19 अप्रैल से 1 जून तक सात चरणों में आयोजित किया जाएगा।
- भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित चुनाव कार्यक्रम, राज्य के पश्चिमी क्षेत्र में गन्ना बेल्ट से शुरू होगा और पूर्वांचल में समाप्त होगा जिसे अक्सर यूपी का चावल का कटोरा कहा जाता है।
  - वोटों की गिनती 4 जून, 2024 को होने वाली है।

CrPC की धारा 144

- यह कानून भारत में किसी भी राज्य या केंद्रशासित प्रदेश के मजिस्ट्रेट को एक निर्दिष्ट क्षेत्र में चार या अधिक लोगों के इकट्ठा होने पर रोक लगाने का आदेश पारित करने का अधिकार देता है।
- यह उन उपद्रव या किसी घटना के संभावित खतरे के मामलों में लगाया जाता है जिसमें मानव जीवन को परेशानी या संपत्ति को क्षति पहुँचाने की संभावना होती है।
- यह आदेश किसी विशेष व्यक्ति या आम जनता के खिलाफ पारित किया जा सकता है।
- धारा 144 की विशेषताएँ:
  - यह दिये गए क्षेत्राधिकार में किसी भी प्रकार के हथियार रखने या ले जाने पर प्रतिबंध लगाता है।
    - इस तरह के कृत्य के लिये अधिकतम दंड तीन वर्ष है।
  - इस धारा के अंतर्गत पारित आदेश के अनुसार, जनता की आवाजाही नहीं होगी और सभी शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे।
  - साथ ही इस आदेश के संचालन की अवधि के दौरान किसी भी प्रकार की जनसभा या रैलियाँ करने पर पूर्ण रोक होती है।
  - कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा किसी गैर-कानूनी सभा को भंग न करना एक दंडनीय अपराध माना जाता है।
  - यह अधिकारियों को क्षेत्र में इंटरनेट एक्सेस को ब्लॉक करने का अधिकार भी देता है।
  - धारा 144 का अंतिम उद्देश्य उन क्षेत्रों में शांति और व्यवस्था बनाए रखना है जहाँ दैनिक गतिविधियों को बाधित करने से परेशानी हो सकती है।

दीपक कुमार उत्तर प्रदेश के नए गृह सचिव

चर्चा में क्यों?

हाल ही में निर्वाचन आयोग ने वरिष्ठ IAS अधिकारी दीपक कुमार को उत्तर प्रदेश का नया गृह सचिव नियुक्त करने की मंज़ूरी दे दी है।

मुख्य बिंदु:

वर्ष 1990 बैच के IAS अधिकारी दीपक कुमार वर्तमान में वित्त एवं मूलभूत शिक्षा के अतिरिक्त मुख्य सचिव हैं।

राज्य के मुख्य सचिव

- नियुक्ति:
  - मुख्य सचिव का चुनाव (Chosen) मुख्यमंत्री द्वारा किया जाता है।
  - चूँकि मुख्य सचिव की नियुक्ति मुख्यमंत्री की कार्यकारी आदेश से होती है, इसलिये इसे राज्य के राज्यपाल द्वारा नामित किया जाता है।

नोट :

- पदास्थिति:
  - मुख्य सचिव (Chief Secretary) भारतीय राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की सिविल सेवाओं का वरिष्ठतम पद है।
  - यह पद भारतीय प्रशासनिक सेवा की संवर्ग या कॉडर (Cadre) पद है।
  - मुख्य सचिव राज्य प्रशासन (मंत्रिमंडल) से जुड़े सभी मामलों में मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार के रूप में कार्य करता है।
- कार्यकाल:
  - मुख्य सचिव के पद को कार्यकाल प्रणाली के संचालन से बाहर रखा गया है।
  - इस पद के लिये कोई निश्चित कार्यकाल निर्धारित नहीं है।

भारतीय निर्वाचन आयोग

- भारतीय निर्वाचन आयोग, एक स्वायत्त सांविधानिक प्राधिकरण है जो भारत में संघ और राज्य निर्वाचन प्रक्रियाओं के प्रशासन के लिये ज़िम्मेदार है।
- इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को संविधान के अनुसार की गई थी (राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है)। आयोग का सचिवालय नई दिल्ली में है।
- यह निकाय भारत में लोकसभा, राज्यसभा एवं राज्य विधानसभाओं तथा देश में राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के पदों के लिये निर्वाचन का प्रबंधन करता है।
- इसका राज्यों में पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के निर्वाचन से कोई सरोकार नहीं है। इसके लिये भारत का संविधान एक अलग राज्य चुनाव आयोग का प्रावधान करता है।

उत्तर प्रदेश: फार्मास्युटिकल उत्पादों का प्रमुख उत्पादक और निर्यातक

चर्चा में क्यों?

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मुताबिक, फार्मा उपभोक्ता राज्य होने से उत्तर प्रदेश फार्मास्युटिकल उत्पादों का प्रमुख उत्पादक और निर्यातक बनने की दिशा में तेज़ी से आगे बढ़ रहा है।

मुख्य बिंदु:

- सीएम ने कहा कि सरकार ललितपुर में 2,000 एकड़ में फैला एक फार्मा पार्क बना रही है और एक मेडिकल डिवाइस पार्क विकसित करने की भी योजना बना रही है।
- उन्होंने गोरखपुर में मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में एक फार्मेसी भवन की आधारशिला भी रखी।
- कार्यक्रम के दौरान सीएम ने स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तीकरण योजना के तहत छात्रों को स्मार्टफोन और टैबलेट भी वितरित किये।

स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तीकरण योजना

- इस योजना के तहत उच्च शिक्षण संस्थानों के विभिन्न शिक्षण/प्रशिक्षण कार्यक्रमों में नामांकित स्नातक, स्नातकोत्तर, डिप्लोमा, कौशल विकास, पैरामेडिकल और नर्सिंग छात्र आदि को इस योजना का लाभ मिलेगा।
- राज्य सरकार छात्रों को उनके संबंधित विश्वविद्यालय/कॉलेज/संस्थान के माध्यम से टैबलेट/स्मार्ट फोन वितरित करेगी।
- ये उपकरण छात्रों के बीच सरकार की विभिन्न विकासात्मक योजनाओं और कार्यक्रमों के बारे में जागरूकता फैलाने में सहायता करेंगे।

त्रिनेत्र ऐप 2.0

चर्चा में क्यों?

हाल ही में यूपी पुलिस ने अपराध की रोकथाम और जाँच के लिये डिजिटल प्लेटफॉर्म त्रिनेत्र ऐप 2.0 को अपनाया है।

मुख्य बिंदु:

- त्रिनेत्र के डेटाबेस में अब 9.32 लाख से अधिक आपराधिक रिकॉर्ड डिजिटल हो गए हैं, फ्रंटलाइन अधिकारियों के पास सुरक्षा जाँच के दौरान संदिग्धों की तेज़ी से पहचान करने की क्षमता होगी।
- इसका उपयोग इंस्पेक्टर और उससे ऊपर रैंक के सभी पुलिस कर्मी आवश्यकतानुसार कर सकते हैं।
    - पुलिस कर्मी अपराध से संबंधित व्यापक जानकारी इनपुट और एक्सेस कर सकते हैं, जिसमें अपराध इतिहास, एफआईआर विवरण, पूछताछ रिपोर्ट, ऑडियो रिकॉर्डिंग, तस्वीरें, पुरस्कार, कारावास विवरण एवं ज़ब्ती रिकॉर्ड शामिल हैं।
    - यह चेहरे की पहचान क्षमताओं के साथ कानून प्रवर्तन को सशक्त बनाता है, जिससे फोटोग्राफिक डेटा के आधार पर संदिग्धों की त्वरित पहचान संभव हो पाती है।
- क्राइम GPT सुविधा जाँच प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करते हुए अपराधियों और आपराधिक गतिविधियों के बारे में व्यापक जानकारी तक त्वरित पहुँच सक्षम बनाती है।
- त्रिनेत्र 2.0 फोटो लिंकिंग और चेहरे की पहचान तकनीक के माध्यम से लापता व्यक्तियों की खोज की सुविधा भी प्रदान करता है, जिससे लापता व्यक्तियों का पता लगाने एवं उनके परिवारों के साथ पुनर्मिलन के प्रयासों को बल मिलता है।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने यूपी मदरसा शिक्षा अधिनियम को असंवैधानिक घोषित किया

चर्चा में क्यों?

हाल ही में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम, 2004 "असंवैधानिक" है और धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत का उल्लंघन करता है तथा राज्य सरकार को औपचारिक स्कूली शिक्षा प्रणाली में वर्तमान छात्रों को समायोजित करने का आदेश दिया।

मुख्य बिंदु:

- याचिकाकर्त्ता ने यूपी मदरसा बोर्ड की संवैधानिकता को चुनौती दी थी साथ ही मदरसों का प्रबंधन शिक्षा विभाग के बजाय अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा किये जाने पर भी आपत्ति जताई थी।
- याचिकाकर्त्ता और उनके वकील ने प्रस्तुत किया कि मदरसा अधिनियम धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों का उल्लंघन करता है, जो संविधान की मूल संरचना है, यह 14 वर्ष की आयु/कक्षा-आठवीं तक गुणवत्तापूर्ण अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने में विफल है जैसा कि अनुच्छेद 21-A के तहत अनिवार्य है: और मदरसों में पढ़ने वाले सभी बच्चों को सार्वभौमिक तथा गुणवत्तापूर्ण स्कूली शिक्षा प्रदान करने में विफल है।
    - यूपी में लगभग 25,000 मदरसे हैं जिनमें से 16,500 को यूपी मदरसा शिक्षा बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त है। इनमें से 560 मदरसों को सरकार से अनुदान मिलता है। इसके अलावा राज्य में 8,500 गैर मान्यता प्राप्त मदरसे हैं।
- वर्ष 2004 में सरकार द्वारा मदरसा शिक्षा अधिनियम बनाया गया था। इसी प्रकार प्रदेश में संस्कृत शिक्षा परिषद का भी गठन किया गया है।
- दोनों बोर्ड का उद्देश्य अरबी, फारसी और संस्कृत जैसी भाषाओं को बढ़ावा देना था।
- यूपी मदरसा शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष के मुताबिक बोर्ड फैसले का अध्ययन करेगा और आगे की कार्रवाई तय करेगा।

यूपी मदरसा शिक्षा अधिनियम, 2004

- मदरसा शिक्षा को सुव्यवस्थित करने के लिये वर्ष 2004 में कानून बनाया गया था, इसे अरबी, उर्दू, फारसी, इस्लामी अध्ययन, तिब्ब (पारंपरिक चिकित्सा), दर्शन और अन्य निर्दिष्ट शाखाओं में शिक्षा के रूप में परिभाषित किया गया था।
- इसके बाद बोर्ड का पुनर्गठन किया गया, जिसमें एक अध्यक्ष, निदेशक, रामपुर में सरकारी संचालित ओरिएंटल कॉलेज के प्रिंसिपल, सुन्नी और शिया संप्रदायों का प्रतिनिधित्व करने वाले एक विधायक, एक NCERT प्रतिनिधि, सुन्नी एवं शिया संस्थानों के प्रमुख, शिक्षक तथा एक विज्ञान या तिब्ब शिक्षक शामिल थे।

अनुच्छेद 21 (A)

- शिक्षा का अधिकार घोषित करता है कि राज्य छह से चौदह वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा।

नोट :

- यह प्रावधान केवल प्रारंभिक शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाता है, न कि उच्च या व्यावसायिक शिक्षा को।
- यह प्रावधान वर्ष 2002 के 86वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था।
- 86वें संशोधन से पहले, संविधान के भाग IV में अनुच्छेद 45 के तहत बच्चों के लिये मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान था

5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला पहला राज्य बना उत्तर प्रदेश

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में उत्तर प्रदेश ने पाँच करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला भारत का पहला राज्य बनकर एक महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है।

मुख्य बिंदु:

- आर्थिक रूप से वंचित व्यक्तियों को स्वास्थ्य देखभाल लागत के खिलाफ वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से बनाई गई आयुष्मान भारत योजना में उत्तर प्रदेश में उल्लेखनीय प्रगति देखी गई है।
  - कुल 50,017,920 आयुष्मान कार्ड जारी किये गए, जिससे 74,382,304 व्यक्तियों को लाभ हुआ, राज्य इस महत्त्वपूर्ण पहल को लागू करने में अग्रणी बनकर उभरा है।
- आयुष्मान कार्ड जारी करने की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित किया गया है, पंचायत सहायकों, जोतदारों और आशा कार्यकर्त्ताओं ने निवासियों के लिये कार्ड बनाने की सुविधा हेतु घर-घर जाकर दौरा किया है।
  - पात्र लाभार्थी अपने कार्ड अपने संबंधित गाँवों के ग्राम पंचायत भवन से भी प्राप्त कर सकते हैं।
- आयुष्मान भारत योजना के तहत, उत्तर प्रदेश में 92.48% की प्रभावशाली निपटान दर के साथ कुल 3,481,252 स्वास्थ्य दावे दायर किये गए हैं।
  - यह ज़रूरतमंदों को समय पर सहायता प्रदान करने में योजना की प्रभावशीलता को इंगित करता है।

आयुष्मान भारत योजना

- यह पूरी तरह से सरकार द्वारा वित्तपोषित विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है।
- वर्ष 2018 में लॉन्च की गई, यह माध्यमिक देखभाल और तृतीयक देखभाल के लिये प्रति परिवार 5 लाख रुपए की बीमा राशि प्रदान करती है।
  - स्वास्थ्य लाभ पैकेज में सर्जरी, चिकित्सा एवं डे केयर उपचार, दवाओं और निदान की लागत शामिल है।

उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र महामारी के बाद भारत के विकास में अग्रणी: SBI रिपोर्ट

चर्चा में क्यों ?

भारतीय स्टेट बैंक अनुसंधान के नवीनतम निष्कर्षों के अनुसार, 235 आधार बिंदु (bp) वृद्धि में से, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश 56 तथा 40 bp का योगदान देकर अग्रणी बनकर उभरे, जबकि शेष 90 bp अन्य राज्यों से प्राप्त हुए।

मुख्य बिंदु

- भारतीय अर्थव्यवस्था ने कोविड-19 महामारी के मद्देनज़र लचीलेपन का प्रदर्शन किया है, औसत वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि 8.1% तक बढ़ गई है, जो महामारी से पहले की अवधि में देखी गई 5.7% की वृद्धि से काफी अधिक है।
- रिपोर्ट के अनुसार:
  - सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) के मोर्चे पर, गुजरात ने अपने आर्थिक उत्पादन को उल्लेखनीय रूप से दोगुना कर दिया है, जो पिछले दशक में 2.2 गुना वृद्धि दर्शाता है।
  - इसके बाद कर्नाटक, असम, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, तेलंगाना, सिक्किम और मध्य प्रदेश जैसे राज्य महत्त्वपूर्ण आर्थिक गति तथा विकास प्रदर्शित कर रहे हैं।

नोट :

- जबकि उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार और मध्य प्रदेश जैसे कुछ राज्यों ने प्रति व्यक्ति आय वृद्धि प्रक्षेप पथ को स्थिर बनाए रखा है, वहीं झारखंड, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, पंजाब, दिल्ली तथा गोवा जैसे अन्य राज्यों ने इस पहलू में कमी दर्ज की है।
- रिपोर्ट में कोविड-19 महामारी के बाद प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद (NSDP) के संदर्भ में राज्य-व्यापी असमानता में उल्लेखनीय कमी पर प्रकाश डाला गया है।

- SBI रिसर्च टीम ने सभी राज्यों में आर्थिक विकास की गति को बनाए रखने और बढ़ाने के लिये निरंतर नीति समर्थन तथा लक्षित हस्तक्षेप के महत्त्व पर ज़ोर दिया।
- यह नीति निर्माताओं, अर्थशास्त्रियों और हितधारकों के लिये एक संसाधन के रूप में कार्य करता है, जो भारतीय अर्थव्यवस्था की उभरती गतिशीलता में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है तथा भविष्य की विकास पहलों का मार्गदर्शन करता है।

आधार बिंदु

- ये माप की एक इकाई है जिसका उपयोग वित्तीय साधनों के मूल्य में प्रतिशत परिवर्तन या किसी सूचकांक या अन्य बेंचमार्क में दर परिवर्तन का वर्णन करने के लिये किया जाता है।
  - एक आधार बिंदु 0.01% (प्रतिशत का 1/100वाँ हिस्सा) या दशमलव रूप में 0.0001 के बराबर है।

मसान होली

चर्चा में क्यों?

हाल ही में वाराणसी में दो दिवसीय विशेष कार्यक्रम मसान होली मनायी गई। इस दौरान भक्त एक-दूसरे पर अंतिम संस्कार की अग्नि की राख और गुलाबी पाउडर (गुलाल) डालते हैं। इस आयोजन को मृत्यु का जश्न मनाने के तौर पर भी देखा जाता है।

मुख्य बिंदु

- ऐसा माना जाता है कि वाराणसी में मसान होली की रस्म होलिका-प्रहलाद की पौराणिक घटना को चिता की राख के साथ मनाई जाती है।
- वाराणसी की मसान होली में चिता की राख का उपयोग जीवन की अल्पता और इस भौतिकवादी विश्व में व्यक्ति के अस्तित्त्व की चक्रीय प्रकृति का प्रतीक है।
- ऐसा माना जाता है कि मसान होली में उपयोग की जाने वाली राख में शुद्धिकरण गुण होते हैं जो शरीर, मन और आत्मा की अशुद्धियों को साफ करते हैं।
- होली के दौरान एक-दूसरे को राख लगाकर, लोग आध्यात्मिक कायाकल्प और आंतरिक शुद्धि चाहते हैं।

✦ ✦ ✦ ✦